"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2017—— ज्येष्ठ 9, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-56-79/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/2642 रायपुर, दिनांक 25 मई 2017

संगीता विकास सिंह, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014, नगरपालिका परिषद सरायपाली, जिला महासमुन्द, छ.ग.

आदेश
(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 25 मई 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द के प्रतिवेदन दिनांक 7 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद सरायपाली, जिला महासमुन्द के अध्यक्ष पद के लिये सम्पन्न आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 7-2-2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया जिसमें नगरपालिका परिषद सरायपाली के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी संगीता विकास सिंह द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया जाना दर्शाया गया.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी संगीता विकास सिंह को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को तामील की गई. अभ्यर्थी ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब 28-6-2016 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया.

4. अभ्यर्थी संगीता विकास सिंह ने जवाब में उल्लेख किया कि वे प्रसूति हेतु अस्पताल में दाखिल होने तथा दिनांक 28 दिसम्बर 2014 को प्रसूति के पश्चात् खून की कमी एवं लीवर में इन्फेक्शन तथा बुखार से पीड़ित होने के कारण वे दिनांक 20 से 29 जनवरी 2015 तक अस्पताल में दाखिल रही जिसके कारण निर्वाचन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकी. अभ्यर्थी द्वारा उक्त कारण को सद्भाविक उल्लेख कर क्षमा की प्रार्थना की गई. अभ्यर्थी ने जवाब की पुष्टि में शिशु का जन्म प्रमाण पत्र एवं अस्पताल में दाखिल रहने संबंधी चिकित्सक का प्रमाण-पत्र भी संलग्न प्रस्तुत किया. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी ने आयोग के समक्ष सुनवाई में दिनांक 20 मार्च 2017 को शपथपूर्वक कथन एवं कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में एक प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया कि प्रसूति के पश्चात् दिनांक 10-1-2015 को उनके कैंसररोग से पीड़ित पिता का निधन हो गया जिनके शोक कार्यक्रम में भी अभ्यर्थी को सम्मिलित होना पड़ा जिसके कारण वे निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की ओर ध्यान नहीं दे पाई तथा वहां से दिनांक 3-2-2015 को लौटकर आने के पश्चात् दिनांक 4-2-2015 को शपथ-पत्र तैयार कराकर अपने अधिवक्ता के साथ निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने उप कोषालय अधिकारी सरायपाली के पास गई थी जहां विलंब का हवाला देते हुए निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय महासमुन्द में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया. उनके अधिवक्ता द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय महासमुन्द में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने हेतु सम्पर्क करने पर उन्हें कहा गया कि जमा करने की तारीख में विलंब हो गया है अत: राज्य निर्वाचन आयोग से नोटिस प्राप्त होने पर जवाब एवं निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना. अभ्यर्थी द्वारा प्रत्युत्तर के साथ निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर उसे स्वीकार करने का निवेदन किया गया.

5. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द ने पत्र क्रमांक 05/स.अ./स्था.निर्वा./2016, दिनांक 3 जनवरी 2017 में अभिमत दिया कि अभ्यर्थी का जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण उनका जवाब निरस्त किया जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाये. अभ्यर्थी के शपथपूर्वक कथन एवं प्रत्युत्तर पर भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द का अभिमत प्राप्त किया गया. जिसमें उनके द्वारा पूर्व अभिमत दिनांक 3 जनवरी 2017 को ही अंतिम मान्य करने का उल्लेख किया गया.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी संगीता विकास सिंह ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा-** प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना-** अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद सरायपाली जिला महासमुन्द के अध्यक्ष पद हेतु सम्पन्न आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी संगीता विकास सिंह ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अधिसूचित अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं कर आयोग कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना की प्राप्ति के पश्चात् दिनांक 20 मार्च 2017 को आयोग कार्यालय में समक्ष सुनवाई के समय व्यक्तिश: प्रस्तुत किया. तथापि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में दाखिल नहीं कर पाने के संबंध में अपने जवाब में स्वास्थ्यगत कारण एवं अन्य परिस्थितियों यथा - स्वयं की प्रसूति तथा पिता के निधन का उल्लेख मय प्रमाण-पत्र किया गया. अभ्यर्थी द्वारा आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में उल्लेख किया गया है कि वे दिनांक 3-2-2015 को पिता के शोक कार्यक्रम से लौटकर आने के पश्चात् दिनांक 4-2-2015 को शपथ पत्र तैयार कराकर निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने अपने अधिवक्ता के साथ उप कोषालय अधिकारी सरायपाली के पास गई थी जहां विलंब का हवाला देते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने निर्देशित किया गया तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पर्क करने पर निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की तारीख में विलंब हो जाने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग में जमा करने निर्देशित किया गया. अभ्यर्थी के शपथपूर्वक कथन एवं प्रत्युत्तर

के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द अपने पूर्व अभिमत दिनांक 3 जनवरी 2017 को ही अंतिम मान्य करने का उल्लेख किया गया जिसमें अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा हस्ताक्षर कर उसे अपने निर्वाचन अभिकर्ता या परिवार के किसी बालिग सदस्य के माध्यम से जमा किया जा सकता था, जिसका पालन अभ्यर्थी द्वारा नहीं करने का उल्लेख करते हुए अभ्यर्थी के जवाब को संतोषप्रद नहीं होने के कारण निरस्त किया जाकर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का अभिमत दिया गया है, जो कि नियमानुसार उचित है.

8. उपरोक्त विवेचना से मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी संगीता विकास सिंह प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा वह इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी संगीता विकास सिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 25 मई 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.